भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1132
बुधवार, 29 जुलाई, 2026 (7 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी तथा मत्स्यपालन समितियों का सुदृढ़ीकरण

1132 # श्री नीरज शेखरः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी तथा मत्स्यपालन समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय की इस पहल के फलस्वरूप प्राथमिक सहकारी समितियाँ कौन-सी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ सकेंगी; और

(घ) इस पहल के परिणामस्वरूप इन समितियों से जुड़े किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के लक्ष्य के साथ नए बहुउद्देशीय पैक्स /डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया है । इस पहल को नाबार्ड , राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा समर्थित किया जाता है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.02.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से देश भर में दिनांक 15.07.2026 तक कुल 38,138 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है; और 21,292 डेयरी तथा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है ।

(ग): 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आदर्श उप-विधियों को अपनाए जाने के माध्यम से, पैक्स को उनके पारंपरिक ऋण कार्यों के अलावा 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को संचालित करने के लिए सक्षम बनाया गया है । इनमें कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) का संचालन, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में कार्य करना, जन औषधि केंद्रों की स्थापना, उचित मूल्य की दुकानों का संचालन,

कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि उपज, बीज, उर्वरक का प्रापण और विपणन तथा कीटनाशक वितरण, भंडारण और भांडागारण, डेयरी, मात्स्यिकी और पशुपालन से संबंधित कार्यकलापों, एलपीजी और पेट्रोल डीलरशिप, ग्रामीण जलापूर्ति प्रचालन एवं रखरखाव, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आदि शामिल हैं ।

(घ): इन पहलों का उद्देश्य प्राथमिक सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को समय पर और किफायती ऋण, कृषि निविष्टियों, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के साथ-साथ गांव के स्तर पर ग्रामीण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच में सुधार करके कई लाभ प्रदान करना है। व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने का उद्देश्य सहकारी समितियों की आय और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए आय के आधार को सशक्त करना, रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना, किसानों के लिए लेनदेन लागत में कमी लाना, मूल्य संवर्धन और मार्केट लिंकेज को सशक्त करना, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना तथा अंततः किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार करने में योगदान देना है ।
